

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-10-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला बुरहानपुर की तहसील बुरहानपुर की सीमाएं, उसमें से, नजूल क्षेत्र सहित राजस्व निरीक्षक वृत्त बुरहानपुर-1 के पटवारी हल्का क्र. 01 से 14 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और तहसील बुरहानपुर के नजूल क्षेत्र सहित राजस्व निरीक्षक वृत्त बुरहानपुर-1 के पटवारी हल्का क्र. 01 से 14 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बुरहानपुर नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 14 पटवारी हल्के होंगे और 29 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय बुरहानपुर में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-10-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-10-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-10-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Burhanpur of District Burhanpur from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 14 of Revenue Inspector Circle Burhanpur-1 with Nuzul area and creates a new Tehsil Burhanpur Nagar by comparing of Patwari Halka No. 01 to 14 of Revenue Inspector Circle Burhanpur-1 with Nuzul area of Tehsil Burhanpur, in which the total Patwari Halkas shall be 14 and villages shall be 29. The headquarter of the said Tehsil shall be at Burhanpur.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-11-2018-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 01 जनवरी 2019 से, जिला देवास की तहसील देवास की सीमाएं, उसमें से, पटवारी हल्का क्र. 33, 34, 38 से 43, 49, 57, 58 एवं 68 को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा तहसील देवास के पटवारी हल्का क्र. 33, 34, 38 से 43, 49, 57, 58 एवं 68 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील देवास नगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 12 पटवारी हल्के होंगे और 30 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय देवास में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-11-2018-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-11-2018-सात-6, भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th December 2018

No. F-1-11-2018-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Dewas of District Dewas from 1st January 2019, by excluding therefrom Patwari Halka No. 33, 34, 38 to 43, 49, 57, 58 and 68 and creates a new Tehsil Dewas Nagar by comparing of Patwari Halka No. 33, 34, 38 to 43, 49, 57, 58 and 68 of Tehsil Dewas, in which the total Patwari Halkas shall be 12 and villages shall be 30. The headquarter of the said Tehsil shall be at Dewas.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.